मध्यप्रदेश विधान सभा

जून–अगस्त, 1990 सत्र

# दैनिक कार्य सूची

## शुक्रवार, दिनांक 20 जुलाई, 1990 (आषाढ़ 29, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

## 1. निधन का उल्लेख

श्री सम्पतराव भाऊजी भोयले, विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के निधन का उल्लेख.

## 2. प्रश्नोत्तर

पृथक्त: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लेदर डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1984-85 पटल पर रखेंगे.

## 4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम हिम्मतपुरा में दो व्यक्तियों की हत्या होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मदनगोपाल सिंह, सदस्य, सरगुजा दक्षिण वन मंडल परिक्षेत्र में तेंदू पत्ता संग्रहण में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, राजगढ़ के कलेक्ट्रेट भवन में अग्निकांड की घटना की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री ललित जैन, सदस्य, प्रदेश में सल्फास के विक्रय पर रोक न लगने से अनेक मौतें होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री उदयप्रकाश मिश्र/कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी/पुष्पराज सिंह, सदस्य, रीवा जिले के अनेक ग्रामों में आन्त्रशोध की बीमारी से हुई मौतें की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सुश्री कल्याणी पाण्डेय, सदस्या, जबलपुर जिले के पाटन विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में आन्त्रशोध की बीमारी फैलने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(7) श्री मोतीलाल वोरा, सदस्य, दमोह जिले की ग्राम पंचायत पाठादो के आदिवासियों के साथ वन कर्मियों द्वारा मारपीट किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री प्रकाश जैन, सदस्य, सागर के दुग्ध संघ कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने की ओर पशुधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार/जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, ग्वालियर शहर के शास्त्री नगर निवासी एक महिला द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम छापा में प्रदूषित जल पीने से अनेक मौतें होने की ओर राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, इन्दौर शहर में बम विस्फोट की अनेक घटनाएं घटित होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री गनेशी लाल वर्मा, सदस्य, जिला पन्ना के ग्राम टिकरिया के केन नदी में पिकअप वियर डायवर्सन निर्माण किये जाने एवं ग्राम बराछ की मड़ासन नदी में उद्वहन सिंचाई योजना प्रारम्भ कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में 15 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

## 6. वर्ष 1983-84 के आधिक्यों के विवरण का उपस्थापन

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, वर्ष 1983-84 के आधिक्यों के विवरण का उपस्थापन करेंगे.

## 7. वर्ष 1990-91 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय साढ़े तीन बजे तक

1 घंटा (1) मांग संख्या 47– जनशक्ति नियोजन विभाग तथा तकनीकी शिक्षा.

1 घंटा 30 मिनट (2) मांग संख्या 19–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण.

मांग संख्या 61–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.

## 8. अशासकीय संकल्प

15 मिनट (1) श्री लक्ष्मीनारायण यादव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

सदन का यह मत है कि शासन प्रदेश के सभी थाना प्रभारियों को आदेश दें कि वे जब भी किसी व्यक्ति की, धारा 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत गिरफ्तारी करें तो उक्त व्यक्ति को हथकड़िया न लगाये तथा इस आदेश का उल्लंघन विभागीय कार्यवाही के योग्य माना जावे.

30 मिनट (2) श्री नन्दकुमार सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

सदन का यह मत है कि वन भूमि के पूर्व के सारे नामांतरण निरस्त कर, हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार सारे उत्तराधिकारी (जो वन ग्राम में रहते हों तथा भूमिहीन हों) के नाम नामांतरण किये जायें.

20 मिनट (3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

सदन का यह मत है कि प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में योग शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाय.

25 मिनट (4) श्री शिवराज सिंह/श्री मदनलाल त्यागी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय विद्यालयों / महाविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई बंद की जावे.

30 मिनट (5) श्री धीरेन्द्र सिंह धीरू, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

सदन का यह मत है कि शासकीय कर्मचारियों हेतु राज्य स्तर पर सुस्पष्ट शासकीय आवास आवंटन की नीति निर्धारित की जाय एवं वर्तमान में व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जावे.

## 9. नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा

दिनांक 3 जुलाई, 1990 को प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 351) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री चन्द्रकांत गुप्ता, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक 19 जुलाई 1990.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.